ई0नं0–24769

प्रेषक,

हरिचन्द्र सेमवाल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण अनुभाग–02 **देहरादून : दिनांक 10 अक्टूबर, 2022**

विषयः– वित्तीय वर्ष 2022–23 में राज्य सैक्टर पोषित ड्रेनेज कार्य मद के अन्तर्गत योजना की वित्तीय स्वीकृति विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–181/प्र0अ0/सिं0वि0/बजट/बी–1 (सामान्य) दिनांक 07.04.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2022–23 में राज्य सैक्टर पोषित ड्रेनेज कार्य मद के अन्तर्गत योजना की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2– उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री कार्यालय अनुभाग–4 (घोषणा) द्वारा घोषणा संख्या–604/2018, जनपद टिहरी गढ़वाल के नरेन्द्र नगर विकासखण्ड में दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त ढालवाला ड्रेन सड़क के मरम्मत कार्य योजना, लागत रू0 290.26 लाख (रूपये दो करोड़ नब्बे लाख छब्बीस हजार मात्र) की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2021–22 में रू0 100.00 लाख (रूपये एक करोड़ मात्र) की धनराशि इस शर्त के साथ अवमुक्त की गयी कि घोषणा तिथि के क्रियान्चयन हेतु अवमुक्त धनराशि के पश्चात अवशेष धनराशि की स्वीकृति विभागीय बजट से किया जाना सुनिश्चित करें, घोषणा मद से अवशेष धनराशि की स्वीकृति प्रदान किया जाना सम्भव नहीं है।

3– उपरोक्त के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–604/2018 जनपद टिहरी गढ़वाल के नरेन्द्र नगर विकासखण्ड में दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त ढालवाला ड्रेन सड़क के मरम्मत कार्य योजना लागत रू0 290.26 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 190.26 लाख (रू0 एक करोड़ नब्बे लाख छब्बीस हजार मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2022–23 में 40 प्रतिशत धनराशि **रू0 76.10 लाख (रूपये छियत्तर लाख दस हजार मात्र)** निम्नलिखित प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(i) सम्बन्धित धनराशि का व्यय प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत किया जायेगा, धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। जहां कही आवश्यक हो यथावश्यकता सक्षम अधिकारी/शासन की स्वीकृति व्यय से पूर्व प्राप्त कर ली जाय।

(ii) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।

(iii) कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

(iv) धनराशि व्यय करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त स्वीकृत कार्य किसी अन्य योजना/विभाग से स्वीकृत/वित्त पोषित न हो। अन्य योजना/विभाग से स्वीकृत/ वित्त पोषित होने की दशा में इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत धनराशि का उपयोग न किया जाय।

/69127/2022

(v) सभी निर्माण कार्य समय–समय पर गुणवत्ता एवं मानकों के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशों के अनुरूप कराये जायें।

(vi) कार्यों की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।

(vii) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय।

(viii) आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(ix) शासनादेश संख्या 2047/XIV–219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

(x) स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31 मार्च, 2023 तक पूर्ण उपभोग कर लिया जाये। उक्त अवमुक्त की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि पूर्व में उक्त योजनाओं हेतु कोई धनराशि तो अवमुक्त नहीं की गयी है, अर्थात् दोहराव की स्थिति उत्पन्न न हो। यदि ऐसी कोई अनियमितता पायी जाती है तो इस हेतु प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग एवं अन्य सम्बन्धित अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(xi) कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण शासन को उपलब्ध करा दिया जाये। अवमुक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जाये।

(xii) स्वीकृत लागत के सापेक्ष कार्य के क्रियान्वयन में यदि कम धनराशि व्यय होती है तो शेष धनराशि शासन को समर्पित कर दी जाये।

(xiii) उक्त व्यय में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 तथा मितव्ययता के सम्बंध में समय–समय पर निर्गत किये गये आदेशों एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(xiv) यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश सं0–236/XXVII(1)/2022/09(150)2019, दिनांक 04.04.2022 एवं शासनादेश संख्या–391/09(150)2019/XXVII(1)/2022, दिनांक 24 जून, 2022 में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों में प्राप्त दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(xv) उपरोक्त उल्लिखित बिन्दु अथवा उल्लिखित धनराशि के सम्बन्ध में यदि कोई भी अस्पष्टता/भ्रम प्रतीत रहा हो तो उसके सम्बन्ध में तत्काल शासन से वस्तुस्थिति स्पष्ट करा ली जाय।

4– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022–23 में अनुदान संख्या–20 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4711–बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय–03–ड्रेनेज–103–सिविल कार्य–02– अन्य रखरखाव कार्य–01–राज्य सैक्टर से पोषित ड्रेनेज कार्यो–53 वृहद निर्माण कार्य मद के नामे डाला जायेगा।

5– उक्त स्वीकृति वित्त विभाग की कम्प्यूटर जनरेटेड संख्या–I/67619/2022, दिनांक 30 सितम्बर, 2022 में प्राप्त उनकी सहमति से की जा रही है।

भवदीय,

Signed by Hari Chandra Semwal
Date: 07-10-2022 17:03:58

(हरिचन्द्र सेमवाल)
सचिव।

/69127/2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (ऑडिट) उत्तराखण्ड, कौलागढ, देहरादून।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड कौलागढ, देहरादून।
3. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
4. निदेशक, राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय, सचिवालय।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
6. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Signed by Jai Lal Sharma
Date: 07-10-2022 17:52:33

(जे0एल0 शर्मा)
संयुक्त सचिव।